फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम बायतु

उगराराम बनाम केसाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 130/15 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.07.15	प्रार्थी की और से प्रार्थी वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील को अन्तरिम आदेश पर एकपक्षीय सुना गया। पत्रावली व संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी की भूमि पैतृक है। सुविधा का सन्तुलन एंव प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 को आगामी पेशी तारीख 25.08.2015 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी मौजा चौखला के खेत खसरा नं. 195 रकबा 01.19 बीघा, खसरा नम्बर 196 रकबा 17.19 बीघा, खसरा नम्बर 205 रकबा 43.05 बीघा, खसरा नम्बर 206 रकबा 00.09 बीघा, खसरा नम्बर 210 रकबा 87.09 बीघा, खसरा नम्बर 309 रकबा 00.03 बीघा, खसरा नम्बर 311 रकबा 23.10 बीघा, खसरा नम्बर 344/195 रकबा 00.16 बीघा कुल खसरा 8 कुल रकबा 175.10 बीघा, मौजा करनपुर के खेत खसरा नम्बर 168 रकबा 02.07 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 60.14 बीघा, खसरा नम्बर 219/168 रकबा 02.00 बीघा, खसरा नम्बर 256/168 रकबा 03.11 बीघा, खसरा नम्बर 258/183 रकबा 09.09 बीघा, खसरा नम्बर 659/183 रकबा 02.02 बीघा कुल खसरा 6 कुल रकबा 80.03 बीघा, मौजा सखरोड़ा के खेत खसरा नम्बर 70 रकबा 334.07 बीघा तथा खावड़िया के खेत खसरा नम्बर 67 रकबा 220.08 बीघा पटवार मण्डल चौखला की भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करे तथा न किसी प्रकार का बेचान या रहन, न ही किसी प्रकार का नया कच्चा–पक्का निर्माण आदि करे तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 25.08.2015 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:37:19 IST
Reason: SelfAttested

25/8/15 प्रार्थी वकील उप० । अप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त इन्तजार होकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 16/11/15 को पेश हो।

16/11/15 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11, 13 से 22, 24 से 29, 31 से 35, 37 व 41 के नोटिस तामील व अप्रार्थीगण संख्या 12, 23, 30, 38 से 40 के नोटिस अदम तामील प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 36 के नोटिस पर फौत होना लिखा गया। अप्रार्थीगण संख्या 18 की ओर से मूल वाद में वकील श्री कुंजराज कामठिया द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः फाईल पत्रावली आगामी दिनांक 15/12/15 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

15/12/15 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 18 के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 11, 13 से 17, 19 से 22, 24 से 29, 31 से 35, 37 व 41 बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी वकील अप्रार्थी संख्या 12, 23, 30, 38 से 40 के पुनः नोटिस व अप्रार्थी संख्या 36 की फौतगी के कायम मुकाम पेश करें। तथा अप्रार्थी संख्या 18 के वकील जवाब पेश करें। पेश होने पर पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/02/16 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:37:19 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 18 के वकील उप०। प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व आदेश की पालना व अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया आईन्दा पेश करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18/04/16 को पेश हो।	
18/4/16 प्रार्थी व विपक्षी 18 के वाकिल उप०। जवाब हेतु अवसर चाहते हैं अवसर दिया जाकर पत्रावली आइन्दा 3/6/16 को पेश हो।	
3/6/16 पत्रावली आज डेस्क कोर्ट के पेश हुई प्रार्थी वाकिल व वि.सं. 18 के वाकिल उप०। वि.सं. 1 से 11, 13 से 22, 24 से 29, 31 से 35, 37 व 41 के नोटिस पूर्व में दिनांक 18/11/15 को तामिल शुदा प्राप्त हो चुके हैं तथा वि.सं. 36 मृत हो चुका है वि.सं. 12, 23, 30 के नोटिस अदम तामिल प्राप्त जिनके नोटिस बु: पेशी फेर पेश होने पर जारी होवे पत्रावली आइन्दा दिनांक 17/8/16 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:37:19 IST
Reason: SelfAttested

17/08/16

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई आईन्दा करना चाहते है पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 05/10/16 को पेश हो, तबतक स्थगन आदेश पूर्वआदेशानुसार यथावत रहेगा। [signature]

05/10/16

वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/11/16 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वआदेशानुसार यथावत रहेगा। [initials]

29/11/16

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा ~~विप्रार्थीगणो~~ विप्रार्थीगण संख्या 12, 23 व 30 के नोटिस पुनः पेश नहीं किये गये पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23/01/17 को पेश हो।

7.7.2020

पत्रावली श्री शिवसहाराम (वादी) अधि. के निवेदन पर प्रस्तुत हुई। मूल वाद 70/2015 Not Press में खारिज की गई है अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र मय स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो।

[signature]
7.7.2020

Not Press [signature] [illegible]

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु